उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-135/2017/1047/92-2-2017-23(जांच)/2017
लखनऊ :: दिनांक:: 04 अगस्त, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि को अन्य कार्यों मे व्यय करने, अस्थाई अग्रदाय खोलने, निविदा गठन की कार्यवाही, क्रिटिकल गैप्स योजना से जनपद के 09 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में इंवर्टर/बैट्री/यू0पी0एस0 स्थापना हेतु कोटेशन, वाहन किराये तथा डीजल मद मे व्यय धनराशि आदि में की गयी वित्तीय अनियमितताओं के लिए प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री विजय कुमार दूबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल को पदेन जॉच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-135/2017/1047(1)/92-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-जी0-45//ग्रा0अ0वि0/वि0नि0-कैम्प(जांच)/2017-18, दिनांक 27.06.2017 की प्रति इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में अरोप पत्र गठित कर शासन में तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। (छायाप्रति संलग्न)
2- जांचअधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-विन्ध्यांचल।
3- श्री विजय कुमार दूबे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, प्रखण्ड-झांसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवींन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in